



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 1658 वर्ष 2026

गीता देवी

..... याची(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य तथा 7 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : दीपेश कुमार ओझा, इक्ष्वाकु प्रताप शाही

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं0 6

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं0 1 से 7 की ओर से उपस्थिति होते हुए विद्वान् स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2. आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट प्रत्यर्थीगण को नोटिसों को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

3. रिट याचिका में यह कहा गया है कि पहले याची ने उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अन्तर्गत मामला सं0 1006 वर्ष 2024 (श्रीमती गीता देवी बनाम ग्राम पंचायत) दाखिल किया था। उक्त आवेदन पर इसके द्वारा आदेश दिनांक 29-02-2024 पारित किया गया था। पूर्वोक्त आदेश द्वारा धारा 24 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन को अनुज्ञात किया गया था। तत्पश्चात प्राइवेट-प्रत्यर्थीगण ने याची के शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करना आरंभ किया था। इस संबंध में प्रत्यर्थी सं0 4 के समक्ष याची द्वारा अद्यतन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के उपाबंध-3 के रूप में संलग्न है।

4. यह तर्क दिया गया है कि पूर्वोक्त आवेदन पर अधिकारियों को प्रत्यर्थी सं0 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-02-2024 का अनुपालन करने का निदेश देते हुए इसके द्वारा टिप्पणियाँ की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त के बावजूद, आज की तिथि तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।

5. रिट याचिकाओं के समूह जिरामे 18-12-2025 को विनिश्चित प्रमुख रिट सी सं0 35470 वर्ष 2025 (मीना देवी बनाम उ0प्र0 राज्य का 5 अन्य) में इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा पैरा सं0 44 से 46 में कतिपय निदेशों को दिया गया था जो निम्नवत् पठित हैं:-

“44. उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उपखण्ड अधिकारी में सीमांकन तथा कब्जा प्रत्यावर्तन हेतु आज्ञापक प्रवर्तन प्राधिकार के साथ सीमा विवादों के संक्षिप्त निपटारा हेतु कानूनी अर्थ-न्यायिक शक्तियाँ निहित करता है। निष्पादन वैवेकिक नहीं है बल्कि लागू करने के प्रावधान के प्रभावोत्पादकता विफलता के लिए अनिवार्य है जो सम्पूर्ण संक्षिप्त क्रियाविधि को निष्क्रिय बना देता है तथा विधायी आशय को विफल करता है। प्रतिपादित विस्तृत दिशानिर्देश कानूनी आदेशों (संहिता 2006 की धारा 24; नियमावली 2016 का नियम 22) को संगत करते हुए संरचनाबद्ध ढांचा, कार्यकारी अनुदेशों (शासनादेश दिनांक 16-12-2025), प्रशासनिक विधि सिद्धांतों तथा निष्पक्षता एवं लोक व्यवस्था के सांविधानिक आदेशों का उपबंध करने का लक्ष्य करता है। संबंधित प्रत्यर्थीगण विशेष रूप से उपखण्ड अधिकारी एवं कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए विधि के अधीन बाध्य है कि धारा 24 के अन्तर्गत आदेशों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाय।

45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य राज्य में सभी राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त दिशानिर्देशों का पूरे राज्य में परिचालन सुनिश्चित करेंगे। आज्ञापक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा आरसीसीएमएस प्रोटोकाल अनुपालन हेतु क्रियाविधि को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

46. प्रत्यर्थीगण, विशेष रूप से संबंधित एसडीओ को तत्काल सीमा चिह्न तथा कब्जा प्रत्यावर्तन, जहाँ भी आवश्यक हो को चस्पा करना सुनिश्चित करते हुए सर्वथा अनुमोदित स्थल

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश के प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर रिट याचिका के वर्तमान जत्था में सभी प्रयोग वस्तु आदेशों को निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है।

6. इस मामले के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी सं० 4 को सर्वथा विधि तथा मीना देवी (ऊपर) जैसा ऊपर उत्कथित है के मामले में किये गये संप्रेक्षणों के अनुसार आदेश दिनांक 29-02-2024 का अनुपालन करने का निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका को अंततः निपटाया जाता है।

जनवरी 30, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"